न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिह पुरोहित (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 226 सन 2018
अनवान :–

1. आशकरण पुत्र श्योपत जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. श्योपत पुत्र घेउ उर्फ घेरूराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
2. मंजु देवी पत्नी श्योपत जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
3. शर्मिला पुत्री श्योपत जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर
4. प्रबन्धक एचडीएफसी बैक शाखा रावतसर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 28/08/19

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यू डी के खाता संख्या 118/30 के कुल किता 67 का कुल क्षैत्रफल 16.5980हैक भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है।

उपरोक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा घेरूराम पुत्र उदराम के नाम से दर्ज थी वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता घेरूराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है।

इसप्रकार वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है पैतृक सम्पति होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 जो वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि अब वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आजकल आजकल करता रहा अन्त में इन्कार हो गया इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज वाद भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , दोनों के नाम बहिब दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि पैतृक भूमि है जो उसे अपने पिता के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 का मेरे साथ बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ,जो वादी की बहन प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने भी प्रतिवादी संख्या 1 , 3 ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यू डी के खाता संख्या 118/30 के कुल किता 67 का कुल क्षैत्रफल 16.5980हैक भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है।

उपरोक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा घेरूराम पुत्र उदराम के नाम से दर्ज थी वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता घेरूराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है।

Scanned with CamScanner

इसप्रकार वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है पैतृक सम्पति होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 जो वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि अब वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि पैतृक भूमि है जो उसे अपने पिता के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 का मेरे साथ बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ,जो वादी की बहन प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिस उनके नाम से राजस्व रिकार्ड म दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने भी प्रतिवादी संख्या 1 , 3 ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है इसप्रकार अब वादी के वाद के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज नही है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड ,जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी– बी के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा घेलराम वल्द उदराम के नाम से सयुक्त खाता में दर्ज थी वादी के दादा घेलराम वल्द उदराम का देहान्त होने के बाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है पर औद हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो रिकार्ड से पूर्णत्या साबित है ।

उपरोक्त रिकार्ड स साबित है कि वादी के दादा घेलराम वल्द उदराम के देहान्त होने पर विरासतन से वाद भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरासतन स वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वाद भूमि दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। पैतृक सम्पति में हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार दादा की सम्पति में पौता/पातीयों का बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि में वादी एव प्रतिदादी संख्या 1 , 3 का बराबर का हक हिस्सा होगा।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 जो वादी की बहन एव प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया गया है कि उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिससा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व प्रतिवादी संख्या 2 ने भी उक्त कथनों का समर्थन किया व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल निल किया जा चुका है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के स्वीकार करने एव साक्ष्य सबुतों के आधार पर पैतृक सम्पति साबित होने के कारण एवं पेरोकार राज के द्वारा किसी प्रकार का ऐतराज नही करने के कारण काबिल डिक्री है।

अत: वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी –बी के खाता संख्या 118/30 के कुल किता 67 का 16.5980हैक में प्रतिवादी संख्या 1 श्योपत के नाम से दर्ज 1/3 हिस्सा में वादी एवं प्रतिदादी संख्या 1 दोनो बहिब के खातदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कंम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28/08/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. आशकरण पुत्र श्योपत जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. श्योपत पुत्र भेउ उर्फ भेरूराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
2. मंजु देवी पत्नी श्योपत जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
3. शर्मिला पुत्री श्योपत जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर
4. प्रबन्धक एचडीएफसी बैंक शाखा रावतसर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 226 सन 2019 निर्णय दिनांक– 20/08/19

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिंह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि सोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी –बी के खाता संख्या 118/30 के कुल किता 67 का 16.5980हैक में प्रतिवादी संख्या 1 श्योपत के नाम से दर्ज 1/3 हिस्सा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/08/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner